न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 32/14

गोविन्दकान्त पुत्र श्री होतप्रकाश जाति बलाना, निवासी हाल आबाद 2/ए–36 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. जसवन्तसिंह पुत्र श्री बचनसिंह निवासी गॉव लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।(मृतक के विधिक उतराधिकारीगण)
3. सुखनसिंह व भूपेन्द्रसिंह पिसरान श्री जसवन्तसिंह गॉव लालगढ जाटान
4. इकबाल कौर उर्फ परमजीतकौर
5. जसपालकौर उर्फ बलजीतकौर
6. काकेकौर उर्फ कुलविन्द्रकौर पिसरान श्री जसवन्तसिंह निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश /पट्टा ग्राम पंचायत लालगढ जाटान दिनांक 28.12.1999 के प्रस्ताव से भूखण्ड सं0 बी12 चक 6 एल.एल.जी. साईज 55 गुणा 25 का पट्टा जारी करते समय बी–1 दर्ज कर दिया गया, को दुरूस्त करने के संबंध में।

उपस्थित :
श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री उदयपाल बिश्नोई, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 व 3

आदेश दिनांक : 27–06–2017

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने तरसेमलाल पुत्र श्री बुधराम जाति अग्रवाल निवासी लालगढ जाटान से अहाता सं0 30 साईज 30 गुणा 45 फुट व आहाता सं0 33 साईज 30 गुणा 45 फुट को जरिये बैयनामा दिनांक 22–12–81 को खरीद किया गया था। ग्राम पंचायत अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किसको आवंटन किया गया, के संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा एक नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 6–6–12 को दिया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अहाताजात जो निगरानीकर्ता को आवंटनशदा हैं उस आहाताजात के

गोविन्दकान्त पुत्र श्री होतप्रकाश जाति बलाना, निवासी हाल आबाद 2/ए–36 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. जसवन्तसिंह पुत्र श्री बचनसिंह निवासी गॉव लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।(मृतक के विधिक उतराधिकारीगण)
3. मक्खनसिंह व भूपेन्द्रसिंह पिसरान श्री जसवन्तसिंह गॉव लालगढ जाटान
4. इकबाल कौर उर्फ परमजीतकौर
5. जसपालकौर उर्फ बलजीतकौर
6. काकेकौर उर्फ कुलविन्द्रकौर पिसरान श्री जसवन्तसिंह निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश /पट्टा ग्राम पंचायत लालगढ जाटान दिनांक 28.12.1999 के प्रस्ताव से भूखण्ड सं0 बी12 चक 6 एल.एल.जी. साईज 55 गुणा 25 का पट्टा जारी करते समय बी–1 दर्ज कर दिया गया, को दुरूरूत करने के संबंध में।

उपस्थित :
श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री उदयपाल बिश्नोई, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 व 3

आदेश दिनांक : 27–06–2017

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने तरसेमलाल पुत्र श्री बुधराम जाति अग्रवाल निवासी लालगढ जाटान से अहाता सं0 30 साईज 30 गुणा 45 फुट व आहाता सं0 33 साईज 30 गुणा 45 फुट को जरिये बैयनामा दिनांक 22–12–81 को खरीद किया गया था। ग्राम पंचायत अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किसको आवंटन किया गया, के संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा एक नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 6–6–12 को दिया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अहाताजात जो निगरानीकर्ता को आवंटनशुदा हैं, उस आहाताजात के पट्टे गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 व 3 को नये पट्टे जे–1 व जे–2 बनाकर आवंटित कर दिये गये हैं। निगरानीकर्ता द्वारा खरीद शुदा आहाता सं0 30 व 33 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 को नये पट्टे जारी कर दिये हैं, जो नियमविरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। निगरानीकर्ता के खरीदशुदा आहातों को कभी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानी स्वीकार की जाकर भूखण्ड सं0 जे–1 व जे–2 के पट्टे निरस्त फरमाये जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अहाता सं0 30 व 33 निगरानीकर्ता द्वारा खरीदशुदा हैं। रजिस्टर्ड बैयनामा से दिनांक 22–12–1981 में खरीद किये गये हैं। उक्त खरीद शुदा आहातों को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। खरीद के संबंध में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के उपर नये भूखण्ढ सं0 जे–1 व जे–2 बनाकर विधिविरूद्व पट्टे जारी किये गये हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश नहीं की है इसलिए निगरानी खारिज होने योग्य है। आहता सं0 30 व 33 निगरानीकर्ता द्वारा 22–11–1981 को खरीद किये गये हैं। विधिक नोटिस 31 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भेजा गया है। निगरानी दिनांक 19–5–14 को 33 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश की गई है। निगरानी अत्यधिक विलम्ब से पेश की जाने के कारण मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर0एन0डब्ल्यू0 1999(3) राजस्थान पेज 1390–91 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। निगरानी पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित किए गए आहाता सं0 जे–1 व जे–2 पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। इस संबंध में बिजली का बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन का बिल अप्रार्थीगण के नाम से हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दो–तीन सौ लोगों को पट्टे जारी किये थे, जिसमें जे–1 व जे–2 के पट्टे अप्रार्थीगण को जारी किये गये हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अवलोकन किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानी अत्यधिक विलम्ब 33 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश की गई है इसलिए निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस तर्क के खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि निगरानी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए निगरानी कभी भी पेश की जा सकती है।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0एन0डब्ल्यू0 1999(3) राजस्थान पेज 1390–91 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि :–

" राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित नियम 17–क, राजस्थान पंचायत नियम एवं भारत का संविधान, अनुच्छेद 227– निलामी द्वारा भूमि का आवंटन – अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अंतराल के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका पेश– पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं – अभिनिर्धारित – जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है "।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्ण

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अहाता सं0 30 व 33 निगरानीकर्ता द्वारा खरीदशुदा हैं। रजिस्टर्ड बैयनामा से दिनांक 22–12–1981 में खरीद किये गये हैं। उक्त खरीद शुदा आहातों को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। खरीद के संबंध में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के उपर नये भूखण्ढ सं0 जे–1 व जे–2 बनाकर विधिविरूद्व पट्टे जारी किये गये हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश नहीं की है इसलिए निगरानी खारिज होने योग्य है। आहता सं0 30 व 33 निगरानीकर्ता द्वारा 22–11–1981 को खरीद किये गये हैं। विधिक नोटिस 31 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भेजा गया है। निगरानी दिनांक 19–5–14 को 33 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश की गई है। निगरानी अत्यधिक विलम्ब से पेश की जाने के कारण मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर0एन0डब्ल्यू0 1999(3) राजस्थान पेज 1390–91 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। निगरानी पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित किए गए आहाता सं0 जे–1 व जे–2 पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। इस संबंध में बिजली का बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन का बिल अप्रार्थीगण के नाम से हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दो–तीन सौ लोगों को पट्टे जारी किये थे, जिसमें जे–1 व जे–2 के पट्टे अप्रार्थीगण को जारी किये गये हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अवलोकन किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानी अत्यधिक विलम्ब 33 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद पेश की गई है इसलिए निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस तर्क के खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि निगरानी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए निगरानी कभी भी पेश की जा सकती है।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0एन0डब्ल्यू0 1999(3) राजस्थान पेज 1390–91 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि :–

" राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित नियम 17–क, राजस्थान पंचायत नियम एवं भारत का संविधान, अनुच्छेद 227– निलामी द्वारा भूमि का आवंटन – अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अंतराल के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका पेश– पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं – अभिनिर्धारित – जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है "।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्ण न्यायशुल्क पर निगरानी पेश नहीं की गई है इसलिए निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। इस तर्क के खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि तकनीकी त्रुटि के कारण निगरानी के गुणदोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस तर्क को अस्वीकार किया जाकर निगरानी का गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये। मेरे विन्रम मत में निगरानी को इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना समीचीन प्रतीत होता

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के अधिवक्ता का उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, भूखण्ड सं0 30 व 33 जो निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 22–12–1981 को रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद करना बताया है तथा निगरानी के पैरा सं0 1 में अंकित किया है कि उक्त अहाताजात के पट्टे अप्रार्थी सं0 2 व 3 को ग्राम पंचायत द्वारा नये पट्टे अहाता सं0 जे–1 व जे–2 बनाकर जारी कर दिये गये, वे स्पष्टतः अभिन्न हैं, यह साबित होना जरूरी है। पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये आहाता सं0 30 व 33 की जगह एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 को अहाता सं0 जे–1 व जे–2 की जगह एक ही है। निगरानी में उल्लेखित अर्थात् भूखण्डों के पूर्व में जारी पट्टों पर बाद में पुनः पट्टे जारी कर दिये गये हैं, ऐसी कोई अवैधानिक कार्यवाही या अनियमितता पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित न होने के कारण निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही निगरानी अत्यधिक विलम्ब 33 वर्ष के अवधि के बाद पेश की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0एन0डब्ल्यू0 1999(3) राजस्थान पेज 1390–91 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है ''। प्रस्तुत मामले में 33 वर्ष का अत्यधिक भारी विलम्ब है, जो अपने आप में अस्पष्ट है। अतः विलम्ब के बिन्दु पर भी निगरानी खारिज होने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानी मियाद बाहर होने एवं मैरिट पर भी निगरानी के लिए पर्याप्त आधार साबित न होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 27–6–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर